अत्यावश्यक

पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा.................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
महानिदेशक, निगरानी, बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक नवम्बर, 2017

विषय :– सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रैप केसेज (घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :– मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग का पत्रांक–1511/गो.मु.स. दिनांक 01.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की प्रत्येक माह की द्वितीय बुधवार के स्थान पर अब उक्त समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को *अपराह्न 03.00 बजे निर्धारित की गयी है । उक्त बैठक के साथ ही निगरानी मामलों की समीक्षात्मक बैठक होगी । माह नवम्बर की उक्त समीक्षात्मक बैठक दिनांक 16.11.2017 को 03.00 अपराह्न मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में होगी ।*

अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–187 दिनांक 23.10.2017 के क्रम में कहना है कि निर्धारित वांछित प्रतिवेदन के साथ उक्त समीक्षात्मक बैठक में सम्मिलित होने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा. 192 /पटना–15, दिनांक 03 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा॰............../

अतिमहत्त्वपूर्ण
बैठक

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार,पटना।

पटना–15, दिनांक नवम्बर, 2017

विषय :– मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से उद्भूत विभागीय कार्यवाही से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग का पत्रांक–1511/गो.मु.स॰ दिनांक 01.11.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार के स्थान पर **अब प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को अपराह्न 03.00 बजे से** मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में होगी।

माह नवम्बर की उक्त समीक्षात्मक बैठक दिनांक 16.11.2017 को अपराह्न में 03.00 बजे से होगी ।

अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–186 दिनांक 23.10.17 के क्रम में कहना है कि अपने विभाग का वांछित विभागीय प्रतिवेदन, निर्धारित प्रपत्रों में, दिनांक 09.11.17 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा॰ 193 /पटना–15, दिनांक 03 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3/11/17

सरकार के अवर सचिव।